प्रेषक,

जिलाधिकारी
देहरादून।

सेवा में,

डिप्टी रजिस्ट्रार,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
फरीदकोट हाउस कोपरनिकस मार्ग,
नई दिल्ली–110001

संख्या– **715**/सी0आर0ए0–2024–25 दिनांक 24 जुलाई, 2024

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–197/2024 शूरवीर एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड़ राज्य व अन्य में पारित नोटिस दिनांक 13.06.2024 के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के नोटिस दिनांक 13.06.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि समस्त निवासीगण, मोल्ड़ी, नगवाड़ा, टिकोची, कोठीगाड़ एवं बंगाण क्षेत्र मोरी, जनपद उत्तरकाशी के संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा टिकोची नगवाड़ा से रौधार मोटर मार्ग का प्रस्ताव बनाकर पत्र संख्या–2945/06(13)याता0–(क्षे0का0)/2023 दिनांक 18.05.2023 के द्वारा सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन को प्रेषित किया गया है। इस सम्बन्ध में प्राथीगणों द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम रौधार में देवदार, बॉज, बुरॉश के जगल के बीच में मात्र थोडी सी भूमि कास्तकारों के नाम है और रौधार की आबादी बहुत कम है। उक्त मोटर मार्ग से इस क्षेत्र की बेसकीमती वन प्रजातियों जैसे–बॉज, बुरॉश और अन्य दुर्लभ प्रजातियों के वृक्ष नष्ट हो जाएंगे। रौधार के लिए पूर्व में भी लोक निर्माण विभाग द्वारा कलीच से रौधार तक मोटर मार्ग प्रस्तावित किया था, जिस पर एन0जी0टी0 ने आपत्ति की थी और तत्कालीन प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग द्वारा इस पर रोक लगाने हेतु विभाग को पत्र लिखा था। किन्तु पुनः लोक निर्माण विभाग ने रौधार के लिए टिकोची नगवाड़ा से मोटर मार्ग प्रस्तावित किया है। यह पूर्व से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वर्ष 2019 की कोठीगाड़ क्षेत्र में आई आपदा से टिकोची, नगवाड़, मोल्डी, बरनाली आदि स्थान भू–स्खलन जोन बन चुके है, इसलिए यदि यह मोटर मार्ग बनता है तो टिकोची, मोल्डी, नगवाडा के साथ–साथ समस्त कोठीगाड के 15–20 गॉवों के लिए इस रोड़ से भू–स्खलन का खतरा बन जाएगा एवं मोटर मार्ग के निर्माण पर तत्काल रोक लगाये जाने तथा स्वीकृत नही किये जाने एवं क्षेत्र के लिए सड़क के स्थान पर रोप–वे के निर्माण का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण को इस कार्यालय के पत्र संख्या–640/सी0आर0ए0–2024–25 दिनांक 21.06.2024 के माध्यम से मुख्य अभियन्ता, लो0नि0विभाग, उत्तराखण्ड़, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। प्रकरण के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण जनपद देहरादून से सम्बन्धित न होकर जनपद उत्तरकाशी से सम्बन्धित है। इस स्तर से प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–197/2024 शूरवीर एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड़ राज्य व अन्य में पारित नोटिस दिनांक 13.06.2024 के क्रम में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीया,

(सोनिका)
जिलाधिकारी
देहरादून।

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.

(Through Physical Hearing with Hybrid V.C. Option)

Original Application No. 197/2024

Shurveer & Ors. ...Applicants

Versus

State of Uttarakhand & Ors. ...Respondents

Date of hearing: 30.04.2024

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER.
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER.

Applicant: None for the applicant.

Application is registered based on a letter petition received by Post.

ORDER

1. Mr. Shurveer and others have sent by post the present letter petition to this Tribunal, which has been treated and registered as O.A. No. 197/2024.

2. The relevant part of the letter petition enumerating grievances of the applicants is reproduced as follows:-

" X X X X

विषयः जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी में टिकोची नगवाड़ा से रौधार तक 15 किमी0 के प्रस्तावित मोटर मार्ग को स्वीकृत न किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, देहरादून, उत्तराखण्ड द्वारा टिकोची नगवाड़ा से रौधार मोटर मार्ग का प्रस्ताव बनाकर पत्र सं0-2945/06(13) याता०- (क्षे०का०) / 2023, दि० 18.05.2023 के द्वारा सचिव लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया गया है। किन्तु अवगत कराना है कि ग्राम रौधार में देवदार, बॉज, बुरॉस के जंगल के बीच मात्र थोड़ी सी भूमि कास्तकारों के नाम है और रौधार की आबादी बहुत कम है। उक्त मोटर मार्ग से इस क्षेत्र की बेसकीमती वन्न प्रजातियों जैसे- बॉज, बुरॉस और अन्य दुर्लभ प्रजातियों के वृक्ष नष्ट हो जाऐंगे। रौधार के लिये पूर्व में भी लोक निर्माण विभाग द्वारा कलीच से रौधार तक मोटर मार्ग प्रस्तावित किया था जिस पर एन०जी०टी० ने आपति की थी और तत्कालीन प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग श्री ओमप्रकाश जी द्वारा इस पर रोक लगाने हेतु विभाग को पत्र लिखा था। अब पुनः षडयन्त्र रचकर लोक निर्माण विभाग ने रौधार के लिये

टिकोची नगवाड़ा से मोटर मार्ग प्रस्तावित किया है। यह पूर्व से भी ज्यादा खतरनाक है इलाके के लिये क्योंकि वर्ष 2019 की कोठीगाड क्षेत्र में आई आपदा से टिकोची, नगवाड़ा, मोल्डी, बरनाली आदि स्थान भूस्खलन जोन बन चुके हैं इसलिए यदि यह मोटर मार्ग बनता है तो टिकोची, मोल्डी, नगवाड़ा के साथ-साथ समस्त कोठीगाड़ के 15-20 गांवों के लिए इस रोड़ से हमेशा के लिए भूस्खलन का खतरा बन जाएगा। इस प्रकार टिकोची, नगवाड़ा, रौधार मोटर मार्ग बनने से जहां घने जंगल की वन प्रजाति बॉज, बुरॉश, देवदार आदि का विनाश होगा वहीं हम मोल्डी, नगवाड़ा, टिकोची तथा कोटीगाड़ के सभी गांव के निवासियों के लिए भूस्खलन क्षेत्र बनने से जीवन का खतरा बनेगा इसलिए प्रस्तावित टिकोची, नगवाड़ा, रौधार मोटर मार्ग के निर्माण पर तत्काल रोक लगाई जाय, तथा इसे स्वीकृत नहीं किया जाय। हम रौधार के विरोधी नहीं हैं वहां मोटर रोड पहुंचना पर्यावरण एवं भूस्खलन के दृष्टिकोण से उचित नहीं है इसलिए वहां के लिए सेब ढुलान/परिवहन के लिए रोप-वे का निर्माण किया जाय इससे न पर्यावरण व वृक्षों को क्षति होगी और न ही क्षेत्र में इसके कारण भूस्खलन जोन में वृद्धि होगी।"

3. *Prima facie* the averments made in the application raise substantial questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule-I to the National Green Tribunal Act, 2010.

4. In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttarakhand through Principal Secretary, Public Works Department, Uttarakhand (2) the District Magistrate, Dehradun, and (3) Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board who stand impleaded as respondents No. 1 to 3. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents No. 1 to 3 requiring them to file their reply/response within two months at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

5. List for further consideration on 25.07.2024.

Arun Kumar Tyagi, JM

April 30th 2024
AG

Dr.Afroz Ahmad, EM

BY SPEEDPOST A.D./EMAIL

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

Original Application No. 197/2024

Shurveer & Ors. Vs State of Uttarakhand & Ors.

To

1. **State of Uttarakhand**
Through the Principal secretary,
Public Works Department, Uttarakhand
29, Yamuna Colony Road Yamuna Colony,
Yamuna Colony Road, Yamuna Colony, Khurbura Mohalla,
Dehradun, Uttarakhand 248001
Contact – 0135-2712001
Email - secy-pwd-ua@nic.in **Respondent No. 1**

2. **District Magistrate, Dehradun**
15-17, Nardev Shastri Marg,
Race Course, Dehradun, Uttarakhand – 248 001
Contact - 0135-2622389
Email - dm-deh-ua@nic.in **Respondent No. 2**

3. **Member Secretary**
Uttarakhand Pollution Control Board
Gaura Devi Bhawan, 46 B IT Park Sahastradhara,
Dehradun, Uttarakhand – 248 001
Contact – 0135-2976157
Email – msukpcb@yahoo.com **Respondent No. 3**

NOTICE

Whereas the above titled Application was listed before the Hon'ble Tribunal on 30.04.2024 (copy of order & application are enclosed), when the Tribunal inter-alia passed the following order (reproduced relevant extracts only):-

"4. In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttarakhand through Principal Secretary, Public Works Department, Uttarakhand (2) the District Magistrate, Dehradun, and (3) Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board who stand impleaded as respondents No. 1 to 3. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents No. 1 to 3 requiring them to file their reply/response within two months at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.
5. List for further consideration on 25.07.2024 "

-******-

2. Now, take further notice that the above matter will be listed for further consideration before the Hon'ble Tribunal on 25st July, 2024, at **Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi-110001** through physical hearing (with hybrid option), when you may appear before the Hon'ble Tribunal either in person or by a pleader duly instructed, and file reply/response, as per directions of the Hon'ble Tribunal vide Order dated 30.04.2024.

3. Take further notice that in default of your appearance on the date above mentioned, the said Application will be heard and determined in your absence.

4. Given under my hand and the seal of this Hon'ble Tribunal, on this 13th June, 2024.

Note: *(For Orders, Cause Lists & other information, please visit our website www.greentribunal.gov.in)*

13/6/2024

Consultant (Judicial), NGT

प्रेषक,

जिलाधिकारी
देहरादून।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

संख्या– 640 /सी0आर0ए0–2024–25

दिनांक 21 जून, 2024

विषयः– **जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी में टिकोची नगवाड़ से रौधार तक 15 किमी0 के प्रस्तावित मोटर मार्ग को स्वीकृत न किए जाने के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक समस्त निवासीगण, मोल्ड़ी, नगवाड़ा, टिकोची, कोठीगाड़ एवं बंगाण क्षेत्र मोरी, जनपद उत्तरकाशी के संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा टिकोची नगवाड़ा से रौधार मोटर मार्ग का प्रस्ताव बनाकर पत्र संख्या–2945/06(13)याता0–(क्षे0का0)/2023 दिनांक 18.05.2023 के द्वारा सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन को प्रेषित किया गया है। इस सम्बन्ध में प्राथीगणों द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम रौधार में देवदार, बॉज, बुरॉश के जगल के बीच में मात्र थोडी सी भूमि कास्तकारों के नाम है और रौधार की आबादी बहुत कम है। उक्त मोटर मार्ग से इस क्षेत्र की बेसकीमती वन प्रजातियों जैंसे–बॉज, बुरॉश और अन्य दुर्लभ प्रजातियों के वृक्ष नष्ट हो जाऐंगे। रौधार के लिए पूर्व में भी लोक निर्माण विभाग द्वारा कलीच से रौधार तक मोटर मार्ग प्रस्तावित किया था, जिस पर एन0जी0टी0 ने आपत्ति की थी और तत्कालीन प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग द्वारा इस पर रोक लगाने हेतु विभाग को पत्र लिखा था। किन्तु पुनः लोक निर्माण विभाग ने रौधार के लिए टिकोची नगवाड़ा से मोटर मार्ग प्रस्तावित किया है। यह पूर्व से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वर्ष 2019 की कोठीगाड़ क्षेत्र में आई आपदा से टिकोची, नगवाड़, मोल्डी, बरनाली आदि स्थान भू–स्खलन जोन बन चुके है, इसलिए यदि यह मोटर मार्ग बनता है तो टिकोची, मोल्डी, नगवाडा के साथ–साथ समस्त कोठीगाड के 15–20 गॉवों के लिए इस रोड़ से भू–स्खलन का खतरा बन जाएगा एवं मोटर मार्ग के निर्माण पर तत्काल रोक लगाये जाने तथा स्वीकृत नही किये जाने एवं क्षेत्र के लिए सड़क के स्थान पर रोप–वे के निर्माण का अनुरोध किया गया है।

अतः समस्त निवासीगण, मोल्ड़ी, नगवाड़ा, टिकोची, कोठीगाड़ एवं बंगाण क्षेत्र मोरी, जनपद उत्तरकाशी के संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

21/6/24

(जय भारत सिंह)
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
देहरादून।

0/c

22/6/24

(28)

1551 18/6/24

सेवा में, 655 19/06/2024

2029/LP/2023 15/9/23

CRA/L.B.C

1– मा0 मुख्यमंत्री जी,
उत्तराखण्ड सरकार।

2– अध्यक्ष,
नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल
नई दिल्ली।

ADM FR
18-06-24

3– सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

4– सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन।

5– प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड।

R.C.

विषयः जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी में टिकोची नगवाड़ा से रौधार तक 15 किमी0 के प्रस्तावित मोटर मार्ग को स्वीकृत न किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, देहरादून, उत्तराखण्ड द्वारा टिकोची नगवाड़ा से रौधार मोटर मार्ग का प्रस्ताव बनाकर पत्र सं0–2945 / 06(13)याता0–(क्षे0का0) / 2023, दि0 18.05.2023 के द्वारा सचिव लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया गया है। किन्तु अवगत कराना है कि ग्राम रौधार में देवदार, बॉज, बुरॉस के जंगल के बीच मात्र थोड़ी सी भूमि कास्तकारों के नाम है और रौधार की आबादी बहुत कम है। उक्त मोटर मार्ग से इस क्षेत्र की बेसकीमती वन प्रजातियों जैसे– बॉज, बुरॉस और अन्य दुर्लभ प्रजातियों के वृक्ष नष्ट हो जाऐंगे। रौधार के लिये पूर्व में भी लोक निर्माण विभाग द्वारा कलीच से रौधार तक मोटर मार्ग प्रस्तावित किया था जिस पर एन0जी0टी0 ने आपत्ति की थी और तत्कालीन प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग श्री ओमप्रकाश जी द्वारा इस पर रोक लगाने हेतु विभाग को पत्र लिखा था। अब पुनः षडयन्त्र रचकर लोक निर्माण विभाग ने रौधार के लिये टिकोची नगवाड़ा से मोटर मार्ग प्रस्तावित किया है। यह पूर्व से भी ज्यादा खतरनाक है इलाके के लिये क्योंकि वर्ष 2019 की कोठीगाड क्षेत्र में आई आपदा से टिकोची, नगवाड़ा, मोल्डी, बरनाली आदि स्थान भूस्खलन जोन बन चुके हैं इसलिए यदि यह मोटर मार्ग बनता है तो टिकोची, मोल्डी, नगवाड़ा के साथ–साथ समस्त कोठीगाड़ के 15–20 गांवों के लिए इस रोड़

69/HCP 30/09/23

CDO 6338 18/6/24

ADM FR / CRA

DM 1476

(29)

से हमेशा के लिए भूस्खलन का खतरा बन जाएगा। इस प्रकार टिकोची, नगवाड़ा, रौधार मोटर मार्ग बनने से जहां घने जंगल की वन प्रजाति बॉज, बुरॉश, देवदार आदि का विनाश होगा वहीं हम मोल्डी, नगवाड़ा, टिकोची तथा कोटीगाड़ के सभी गांव के निवासियों के लिए भूस्खलन क्षेत्र बनने से जीवन का खतरा बनेगा इसलिए प्रस्तावित टिकोची, नगवाड़ा, रौधार मोटर मार्ग के निर्माण पर तत्काल रोक लगाई जाय, तथा इसे स्वीकृत नहीं किया जाय। हम रौधार के विरोधी नहीं हैं वहां मोटर रोड पहुंचना पर्यावरण एवं भूस्खलन के दृष्टिकोण से उचित नहीं है इसलिए वहां के लिए सेब ढुलान/परिवहन के लिए रोप–वे का निर्माण किया जाय इससे न पर्यावरण व वृक्षों को क्षति होगी और न ही क्षेत्र में इसके कारण भूस्खलन जोन में वृद्धि होगी।

संलग्नक यथोपरि:

प्रार्थीगण
समस्त निवासीगण
मोल्डी,नगवाड़ा,टिकोची,कोठीगाड़,
एवं बंगाण क्षेत्र मोरी, जनपद उत्तरकाशी

प्रेषक,

जिलाधिकारी
देहरादून।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

संख्या– 640 /सी0आर0ए0–2024–25

दिनांक 21 जून, 2024

विषयः– **जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी में टिकोची नगवाड़ से रौधार तक 15 किमी0 के प्रस्तावित मोटर मार्ग को स्वीकृत न किए जाने के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक समस्त निवासीगण, मोल्ड़ी, नगवाड़ा, टिकोची, कोठीगाड़ एवं बंगाण क्षेत्र मोरी, जनपद उत्तरकाशी के संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा टिकोची नगवाड़ा से रौधार मोटर मार्ग का प्रस्ताव बनाकर पत्र संख्या–2945 / 06(13)याता0–(क्षे0का0) / 2023 दिनांक 18.05.2023 के द्वारा सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया गया है। इस सम्बन्ध में प्राथीगणों द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम रौधार में देवदार, बॉज, बुरॉश के जगल के बीच में मात्र थोडी सी भूमि कास्तकारों के नाम है और रौधार की आबादी बहुत कम है। उक्त मोटर मार्ग से इस क्षेत्र की बेसकीमती वन प्रजातियों जैसे–बॉज, बुरॉश और अन्य दुर्लभ प्रजातियों के वृक्ष नष्ट हो जाऐंगे। रौधार के लिए पूर्व में भी लोक निर्माण विभाग द्वारा कलीच से रौधार तक मोटर मार्ग प्रस्तावित किया था, जिस पर एन0जी0टी0 ने आपत्ति की थी और तत्कालीन प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग द्वारा इस पर रोक लगाने हेतु विभाग को पत्र लिखा था। किन्तु पुनः लोक निर्माण विभाग ने रौधार के लिए टिकोची नगवाड़ा से मोटर मार्ग प्रस्तावित किया है। यह पूर्व से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वर्ष 2019 की कोठीगाड़ क्षेत्र में आई आपदा से टिकोची, नगवाड़, मोल्डी, बरनाली आदि स्थान भू–स्खलन जोन बन चुके है, इसलिए यदि यह मोटर मार्ग बनता है तो टिकोची, मोल्डी, नगवाडा के साथ–साथ समस्त कोठीगाड के 15–20 गॉवों के लिए इस रोड़ से भू–स्खलन का खतरा बन जाएगा एवं मोटर मार्ग के निर्माण पर तत्काल रोक लगाये जाने तथा स्वीकृत नही किये जाने एवं क्षेत्र के लिए सड़क के स्थान पर रोप–वे के निर्माण का अनुरोध किया गया है।

अतः समस्त निवासीगण, मोल्ड़ी, नगवाड़ा, टिकोची, कोठीगाड़ एवं बंगाण क्षेत्र मोरी, जनपद उत्तरकाशी के संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक–यथोपरि।

21/6/24

(जय भारत सिंह)
अपर जिलाधिकारी(वि0 / रा0)
देहरादून।

O/C

22/6/24

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय,
लोक निर्माण विभाग, (विभागाध्यक्ष कार्यालय परिसर,
द्वितीय तल) यमुना कॉलोनी, देहरादून
Office of Chief Engineer, Zonal Office, P.W.D, Dehradun
Web-http://pwd.uk.gov.in, Fax No-0135-2676749, E-mail: ceddnzone@gmail.com

पत्रांकः– 3026 / 06(02) याता0–(क्षे0का0) / 2024 दिनांक 26 / 06 / 2024

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
छठा वृत्त, लोक निर्माण विभाग,
उत्तरकाशी।

जिलाधिकारी 28 JUN 2024 देहरादून

विषयः– जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी में टिकोची नगवाड़ से रौधार तक 15 किमी0 के प्रस्तावित मोटर मार्ग को स्वीकृत न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक श्री जय भारत सिंह, अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0) देहरादून के पत्र संख्या–640 / सी0आर0ए0–2024–25 दिनांक–21.06.2024 के साथ संलग्न समस्त निवासीगण, मोल्ड़ी, नगवाड़ा, टिकोची, कोठीगाड़ एवं बंगाण क्षेत्र मोरी, जनपद उत्तरकाशी की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है कि विषयक प्रकरण पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से सम्बन्धित पक्ष सहित इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः– पत्रानुसार।

(इं0 संजय पन्त)
स्टॉफ ऑफिसर

प्रतिलिपिः– श्री जय भारत सिंह, अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0) देहरादून को उनके उक्त वर्णित पत्र दिनांक–21.06.2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

26/06/24
स्टॉफ ऑफिसर
26/06/24

6259

O.C. CRA

दिनांक............